

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

पटना, दिनांक / / 2018

संख्या-2/एल-47/2017-

/स्वा०, डा० (श्रीमती) मंजरी सिंह, चिकित्सा

पदाधिकारी, एन०आई०सी०यु०,(एस०एन०सी०यु०) शिशु रोग विभाग, पटना, चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल, पटना को विभागीय आदेश संख्या-963(2) दिनांक-06.11.2017 के आलोक में दिनांक-07.11.2017 से 04.02.2018 तक शिशु देखभाल अवकाश पर है तथा पुनः डा० (श्रीमती) सिंह द्वारा शिशु देखभाल अवकाश दिनांक-05.02.2018 से 19.06.2018 तक विशेष परिस्थिति में बढ़ाये जाने सम्बन्धित आवेदन समर्पित किया है, जो अधीक्षक, पी०एम०सी०एच०, पटना से विधिवत अनुशंसित है।

उक्त आवेदन के आलोक में डा० (श्रीमती) मंजरी सिंह का शिशु देखभाल अवकाश आवेदन दिनांक-05.02.2018 से स्वीकृत कर पूर्व के अवकाश अवधि दिनांक-7.11.2017 से 04.02.2018 को दिनांक-05.02.2018 से 19.06.2018 तक विस्तारित की जाती है।

2. यह अवकाश वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-640 दिनांक-19.1.2015 के आलोक में स्वीकृत किया गया है।

2. प्रस्ताव में स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-307(5), दिनांक-18.3.17 के आलोक में विशेष सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(जगदीश कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-2/एल-47/2017-

196(2)

पटना, दिनांक 09/2/2018

प्रतिलिपि : अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले० एवं ह०) विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० मंजरी सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, एन०आई०सी०यु०,(एस०एन०सी०यु०) शिशु रोग विभाग, पटना, चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/2/18
विशेष कार्य पदाधिकारी